न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 95/2018

1. सुरेश पुत्र श्री भोलाराम, जाति–जाट, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
2. रमेश पुत्र श्री बोदूराम, जाति–जाट, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री सांवरमल, जाति–पुरोहित, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर। (मृतक दौराने अपील)
   1/1. गायत्री देवी पत्नी स्व0 श्री गोपाल पुत्री स्व0 श्री सावरमल, जाति–पुरोहित, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   1/2. कपिल पुत्र स्व. श्री गोपाल, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल, जाति–पुरोहित, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   1/3. नेहा पुत्री स्व. श्री गोपाल, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल, जाति–पुरोहित, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   1/4. कीर्ति पुत्री स्व. श्री गोपाल, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल, जाति–पुरोहित, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
2. गणेश पुत्र श्री सांवरमल, जाति–पुरोहित, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
3. राजू देवी पुत्री श्री सांवरमल, जाति–पुरोहित, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
4. तारामणी पुत्री श्री नारायण, जाति–पुरोहित, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला जयपुर।
5. मणी देवी पुत्री श्री नारायण, जाति–पुरोहित, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
6. उगन्ता देवी पुत्री श्री नारायण, जाति–पुरोहित, निवासी–खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
7. तहसीलदार, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चौमू दिनांक 24.12.2010 नामा0 संख्या 1347 ग्राम खेजरोली)

उपस्थितः–

1. श्री एस.के.यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री बनवारी लाल जाट, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री घीसालाल कुमावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 4 लगा0 6 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट सं0 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. पेरोकार सरकार उपस्थित।

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 30.12.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर स्थित आराजी साबिक ख0नं0 1781 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा ख0नं0 1791 रकवा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 3945/8216 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 3950/8397 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 3948/8398 कुल रकवा 0.8 हे0, ख0नं0 3953 रकबा 1.66 हे0, ख0नं0 3967 रकबा 0.29 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.24 हे0 भूमि में श्री नारायण पुत्र बाला का हिस्सा 1/4 दर्ज होने के बाद भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी श्री नारायण की दर्शाते हुए तहसीलदार, चौमू से नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 विधि विरूद्ध तस्दीक करवाने पर पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, चौमू से वादग्रस्त नामान्तरकरण प्राप्त किया गया।

प्रकरण के संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर स्थित आराजी साबिक ख0नं0 1781,1791 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 3945/8216, 3950/8397, 3948/8398, 3953, 3967 कुल किता 5 कुल रकबा 2.24 हे0 भूमि में श्री नारायण पुत्र बाला का हिस्सा 1/4 दर्ज थी। श्री नारायण पुत्र बालाबक्श का निधन दिनांक 19.05.1993 को हो जाने पर उनके पुत्र सांवरमल द्वारा दिनांक 27.05.1993 को राजस्व अभियान में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 के द्वारा स्व0 श्री नारायण के स्थान पर सांवरमल पुत्र श्री नारायण हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। सांवरमल द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचान 27.12.1993 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलान्ट्स को कर देने पर विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट्स ने समस्या समाधान अभियान 1998 को विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 12.09.1998 के आधार पर सांवरमल पुत्र श्री नारायण के स्थान पर अपीलान्ट्स का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल करवा लिया।

दिनांक 05.02.2013 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 कुछ व्यक्तियों के साथ अपीलान्ट्स की वादग्रस्त भूमि पर आ कर बैचान की बात करने पर अपीलान्ट द्वारा विरोध किया गया तो रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा यह कहा गया कि वादग्रस्त भूमि उनके नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसके पश्चात् अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठ कर दिनांक 24.12.2010 को श्री

Scanned by CamScanner

नारायण की खातेदारी दर्शाते हुए एक ओर नामान्तरकरण सं0 1347 विधि विरूद्ध अपने नाम दर्ज करवाया है। जबकि श्री नारायण के मृत्यु के पश्चात् दिनांक 27.05.1993 को नामान्तरकरण सं0 643 के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि सांवरमल पुत्र श्री नारायण के नाम दर्ज चली आ रही है तथा सांवरमल द्वारा उनके जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट को करने पर नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 12.09.1998 के द्वारा अपीलान्ट्स के नाम दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 24.12.2010 को श्री नारायण पुत्र बाला बक्श के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड नही थी, परन्तु फिर भी उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण सं0 1347 दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण खारिज किया जावें। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जावें।

जबकि रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट्स के पिता थे जिनका स्वर्गवास होने पर उनकी आराजी उनके वारिसान के हित में निहित हो गई तथा वारिसान बराबर के खातेदार हो गये। अकेले सांवरमल को ना तो नामान्तरकरण खुलवाने का अधिकार था ना ही विक्रय करने का अधिकार था और ना ही विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार था। श्री नारायण की विरासत व विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीकशुदा नामान्तरकरण अनुचित व क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर किये जाने के कारण निरस्त योग्य है। वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 1347 की जानकारी अपीलान्ट्स को नामान्तरकरण तस्दीक होने के दिन से ही है। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स एक ही गांव के निवासी है। अपीलान्ट्स द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 05.02.2013 को होना बताया है परन्तु इसका स्रौत नही बताया है। अतः अपील अपीलान्ट्स मियाद बाहर एवं विधि विरूद्ध पेश करने के कारण निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर स्थित आराजी साबिक ख0नं0 1781,1791 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 3945/8216, 3950/8397, 3948/8398, 3953, 3967 कुल किता 5 कुल रकबा 2.24 हे0 भूमि में श्री नारायण पुत्र बाला का हिस्सा 1/4 दर्ज थी। श्री नारायण पुत्र बालाबक्श का निधन हो जाने पर उनके पुत्र सांवरमल द्वारा दिनांक 27.05.1993 को राजस्व अभियान में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 तस्दीक किया गया। जिसके द्वारा स्व0 श्री नारायण के स्थान पर उनके पुत्र सांवरमल पुत्र श्री नारायण हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया।

Scanned by CamScanner

सांवरमल द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलान्ट्स को कर देने पर विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट्स ने समस्या समाधान अभियान 1998 को विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 12.09.1998 के आधार पर सांवरमल पुत्र श्री नारायण के स्थान पर अपीलान्ट्स का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल करवा लिया। इसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा अपीलान्ट्स की वादग्रस्त भूमि को बैचान की बात करने पर अपीलान्ट द्वारा विरोध किया गया तो रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि उनके नाम दर्ज रिकार्ड होना बताने पर उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर उन्हे यह जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दिनांक 24.12.2010 को श्री नारायण की खातेदारी दर्शाते हुए एक ओर नामान्तरकरण सं0 1347 दर्ज करवाया है। जबकि श्री नारायण के मृत्यु के पश्चात् दिनांक 27.05.1993 को नामान्तरकरण सं0 643 के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि सांवरमल पुत्र श्री नारायण के नाम दर्ज चली आ रही है तथा सांवरमल द्वारा उनके जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट को कर दिया था जिसका नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 12.09.1998 के द्वारा अपीलान्ट्स पक्ष में तस्दीक किया गया था। दिनांक 24.12.2010 को श्री नारायण पुत्र बाला बक्श के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड नही थी, परन्तु फिर भी उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण सं0 1347 दर्ज किया गया है। विरासत का नामान्तरकरण एक ही व्यक्ति के दो–दो बार नही खोला जा सकता है। सक्षम न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण निरस्त किये जाने पश्चात् ही नवीन नामान्तरकरण खोला जा सकता है। तहसीलदार, चौमू द्वारा एक ही व्यक्ति के विरासत के नामान्तरकरण दिनांक 27.05.1993 व 24.12.2010 को खोलकर कानूनी भूल की है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के बैचान की बात करने पर हुई। इसके पश्चात् अपीलान्ट्स द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाने पर उन्हे नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 की जानकारी हुई। अपीलान्ट्स को उक्त देरी अपीलान्ट्स की ओर से ना होकर जानकारी के अभाव में हुई है। अतः अपीलान्ट्स की देरी को दरगुजार फरमा कर विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 को निरस्त करते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जावें।

विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार उनके पिता थे तथा पिता के निधन होने पर वादग्रस्त आराजी पर उनके वारिसान पुत्र व पुत्रियां बराबर के खातेदार है। अकेले सांवरमल न तो नामान्तरकरण खुलवाने का अधिकार था ना ही विक्रय करने का अधिकार था। श्री नारायण की विरासत व कथित विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीकशुदा नामान्तरकरण सं0 643

Scanned by CamScanner

दिनांक 27.05.1993 अवैध व अनुचित व क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर किया गया है। जबकि नामान्तरकरण सं0 1347 श्री नारायण की विरासत का श्री नारायण के उत्तराधिकारियों के नाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार सही तस्दीक किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को नामान्तरकरण सं0 1347 तस्दीक होने के दिन से ही है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स एक ही गांव के निवासी है जिसके कारण अपीलान्ट्स को उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक होने की जानकारी प्रारंभ से ही रही है। अपीलान्ट्स का यह कथन है कि उन्हे वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 05.02.2013 को हुई है, यह कथन गलत है। उनके द्वारा जानकारी किस स्रोत से हुई यह भी नही बताया गया है। तहसीलदार, चौमू द्वारा नामान्तरकरण सं0 643 विधि विरूद्ध रूप से अन्य वारिसो को बिना सुने तस्दीक किया गया है। मृतक श्री नारायण के तीन पुत्रों के अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट सं0 4, 5, 6 भी मृतक की पुत्रियां है जो प्रथम श्रेणी की वारिस है। अतः तहसीलदार द्वारा मृतक श्री नारायण के जायज वारिसान के नाम तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सं0 1347 विधि अनुसार तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने दौराने बहस निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

1. 1979 RRD 550
2. 2001 RBJ 133
3. 2008 RBJ 761
4. 1961 RRD 162
5. 1998 RBJ 43
6. 2002 RBJ 108

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि नामान्तरकरण सं0 1347 मृतक श्री नारायण के जायज वारिसान के नाम विधि अनुसार तस्दीक किया गया है। पूर्व में खोला गया नामान्तरकरण सं0 643 विधि अनुरूप नही होने के कारण पुनः नामान्तरकरण सं0 1347 खोला गया है।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.12.1993 को क्रय की गई थी तथा विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 12.09.1998 को नामान्तरकरण सं0 70 उनके हक में तस्दीक किया गया था। इसके पश्चात् दिनांक 24.12.2010 को फौती नामान्तरकरण सं0 1347 रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में तस्दीक किया गया था। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 05.02.2013 को होना अवगत कराया है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद

Scanned by CamScanner

अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम खेजरोली तहसील चौमू स्थित वादग्रस्त आराजियात कुल रकबा 2.24 हे0 के 1/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार रेस्पोडेन्ट सं0 1, 4, 5, 6 के पिता स्व0 श्री नारायण पुत्र बालाबक्श थे। श्री नारायण का स्वर्गवास वर्ष 1993 में हो गया। श्री नारायण के स्वर्गवास के समय उनकी तीन पुत्रियां रेस्पोडेन्ट्स एवं एक पुत्र सांवरमल जायज वारिसान थे, परन्तु तत्कालीन तहसीलदार द्वारा जायज वारिसान को बिना सुने एकपक्षीय तौर पर स्व0 श्री नारायण के एक मात्र पुत्र सांवरमल के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 को तस्दीक कर दिया। जबकि तहसीलदार को नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक श्री नारायण के जायज वारिसान की जांच करनी चाहिए थी। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक होने के पश्चात् सांवरमल पुत्र स्व0 श्री नारायण द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलान्ट सं0 1 व 2 को कर दिया गया। जिसका नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 12.09.1998 को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया। इसके पश्चात् तहसीलदार द्वारा श्री नारायण के जायज वारिसान मुताबिक सजरा नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 को तस्दीक किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.05.1993 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं0 643 व दिनांक 12.09.1998 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं0 70 को सक्षम न्यायालय से खारिज करवाये बिना ही विधि विरूद्ध रूप से, मनमानी तौर पर नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 तस्दीक किया गया है। चूंकि स्व0 सांवरमल द्वारा उनके जीवनकाल में ही विधि विरूद्ध रूप से नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 को तस्दीक कराकर वादग्रस्त भूमि को अपीलान्ट सं0 1 व 2 को विक्रय कर दिया था तथा उक्त दोनों वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 643 एवं 70 वर्तमान में भी निरस्त नही किये गये है। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण सं0 643 एवं 70 को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना ही नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 तस्दीक किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध रूप से पूर्व में तस्दीकशुदा नामान्तरकरण सं0 643 एवं 70 को निरस्त किये बिना ही नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामान्तरकरण सं0 1347 विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, चौमू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनकर विधि सम्मत सुसंगत तरीके से पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2020.02.14 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: